domestic markets in various parts of the country.

2. In order to augment the supply for the Public Distribution System, it has further been decided that Public Sector Undertakings, i.e. STC & MMTC, would also undertake import of sugar. Of the contracts made by STC/MMTC, a quantity of about 42,000 tonnes has already arrived at various ports.

3. Import of raw sugar has been placed under OGL.

4. With a view to ensure that indigenous sugar is not held back by sugar mills, restrictions on sale and despatch of freesale sugar has been imposed on a weekly basis, instead of fortnightly basis, which existed earlier.

5. Gur (Control) Order 1994 has been issued, imposing, stock-holding limits, turnover period etc., on the stocks held by gur dealers. This has been done with a view to discourage speculative hoarding of gur. It is also expected to have a sympathetic sobering effect on sugar prices.

6. Sugar industry has been persuaded to agree to the conversion of 2.5 lakh tonnes of freesale sugar into levy as loan on replenishment basis, for distribution to the consumers through the Public Distribution System.

7. Sugar prices in the open market are regulated through monthly releases, which are made in a judicious manner, in order to maintain the prices at reasonable levels.

चीनी का आयात

579. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्त राम जायसवाल :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी के आयात के मामले में सम्बन्धित अधिकारियों के बीच विवाद रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विवाद के मुख्य मुद्दे क्या थे और क्या सरकार ने इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया है और इस मामले में कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इस मुद्दे पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की अवहेलना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसका क्या औचित्य है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ) चालू चीनी मौसम में चीनी की उपलब्धता की कमी से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने में की गई चूक, यदि कोई हो, के तथ्यों का पता लगाने तथा प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक प्रशासनिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच का परिणाम अभी प्रतीक्षित है।

चीनी घोटाले की जांच

580. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीनी घोटाले की जांच को दबाना चाहती है जोकि प्रतिभूति घोटाले से भी बड़ा है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सभी संबंधित अधिकारियों और खाद्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) सरकार ने चालू चीनी मौसम में चीनी की उपलब्धता की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिनांक 17 जुलाई, 1994 के आदेश के तहत पहले ही एक जांच समिति गठित

कर दी है। यह जांच श्री ज्ञान प्रकाश, भारत के सेवा-निवृत्त नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है। आशा है समिति अपनी रिपोर्ट एक महीने में प्रस्तुत कर देगी।

राज्यों के खाद्य-सचिवों की बैठक

581. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्त राम जायसवाल :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की खाद्य सचिव की कोई बैठक हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस बैठक में भाग लिया है; और

(ग) बैठक का विषय क्या था और यदि उसमें कोई निर्णय लिये गये थे तो वे क्या थे?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) जिन राज्यों ने बैठक में भाग लिया उनके नाम संलग्न विवरण–I में दिये गये हैं। **(नीचे देखिये)**

(ग) 11 जुलाई, 1994 को हुई बैठक की कार्यसूची में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वितरण के लिये आयातित चीनी की संचलन योजना, मूल्य और भुगतान के तौर-तरीके का निर्धारण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये राज्यों के पास चीनी के स्टाक की अद्यतन स्थिति पर विचार-विमर्श करना शामिल था। प्रत्येक राज्य में चीनी की उपलब्धता, चीनी के मूल्यों और चीनी की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया था। बैठक में लिये गये निर्णय संलग्न विवरण–II में दिये गये हैं।

विवरण—I

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, जिन्होंने 11 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में हुई बैठक में भाग लिया

1. आंध्र प्रदेश
2. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
3. बिहार
4. दिल्ली
5. गुजरात
6. हिमाचल प्रदेश
7. हरियाणा
8. जम्मू और कश्मीर
9. कर्नाटक
10. केरल
11. मध्य प्रदेश
12. मणिपुर
13. महाराष्ट्र
14. मेघालय
15. पंजाब
16. पांडिचेरी
17. राजस्थान
18. तमिलनाडु
19. त्रिपुरा
20. उत्तर प्रदेश
21. पश्चिम बंगाल

विवरण–II

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति सचिवों की 11 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में हुई बैठक में लिये गये निर्णय

(1) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का लेवी चीनी का कोटा 3.35 लाख मीटरी टन प्रति मास बना रहेगा। तथापि, जैसाकि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है कि त्यौहार कोटे का उनका शेयर उनकी पसन्द के महीने